सं0- 38/2015/754/62-2-2015-2/3(35)/2013

सेवा में,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 10 मार्च,2015

विषय- लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण/निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-48/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/2013-14, दिनांक 19-02-2015 व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण् करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-13 के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण/निर्माण हेतु (राज्य सेक्टर) में प्राविधानित धनराशि `&135.80 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा तक की धनराशि `&67.90 लाख (रूपया सरसठ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निस्तारण पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राज्य सेक्टर की योजनाओं के अधीन लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढीकरण/निर्माण की योजना पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के स्थाई/अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल पर ऊपर दाहिनी आरे लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय मे सही बुकिंग में बाधा होगी।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन लेखा शीर्षक **"4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-10-लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण भवन का सुदृढीकरण/निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य"** के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

सं0-38/2015/754(1)/62-2-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान, बी0के0टी; लखनऊ।

4- संबंधित जिलाधिकारी।

5- संबंधित सहायक अभियंता, लघु सिचाई विभाग।

6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

7- नियोजन अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन।

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।

10- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।

11- एन0आई0सी0 की प्रति।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।